



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072020-220702
CG-DL-E-27072020-220702

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363]
No. 363]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2020/श्रावण 5, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2020/SARAVANA 5, 1942

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2020

सं. 61 /2020-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 467 (अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 58 क की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 66/2016-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 14 मई, 2016, जिसे सा.का.नि. 513(अ), दिनांक 14 मई, 2016 के तहत भारत के राजपत्रित, असाधारण, के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, उपवाक्य (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(1) सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य धातुएं तथा उनसे निर्मित वस्तुएं;”.

[फा.सं. 473/04/2020- एलसी]

राधाकृष्णन आनंद, उप सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 66/2016-सीमाशुल्क (गै. टे.), दिनांक 14 मई, 2016 को सा.का.नि. 513(अ), दिनांक 14 मई, 2016 के तहत भारत के राजपत्रित, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2020

No. 61/2020-Customs (N.T)

G.S.R. 467(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 58A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. 66/2016-Customs (N.T), dated the 14th May, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R 513 (E), dated the 14th May, 2016, namely: -

In the said notification, for clause (1), the following clause shall be substituted, namely: -

“(1) gold, silver, other precious metals and articles thereof;”.

[F.No.473/04/2020-LC]

RADHAKRISHNAN ANANTH, Dy. Secy.

Note: The principal notification No. 66/2016-Customs (N.T), dated the 14th May, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide number* G.S.R 513(E), dated the 14th May, 2016.